राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 01] पन्द्रहवीं विधान सभा के पहले सत्र का तीसरा दिवस [संख्या: 03

गुरुवार,

17 जनवरी 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.48 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

माननीय अध्यक्ष, श्री सी.पी. जोशी का प्रथम सम्बोधन

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, राज्यपाल महोदय का भाषण हमारे रिकार्ड का पार्ट नहीं होता है, पर आज जो कुछ भी घटना यहां हुई, वह हम सबके लिये शर्मिन्दगी का सवाल है। मैं आप सबसे यह सानुरोध निवेदन करना चाहता हूं, जैसा मैंने कल भी कहा, इस सदन की सार्थकता तब होगी जब हम नियम और प्रक्रिया का पालन करें। मैं आशा करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि हर सदस्य नियम और प्रक्रिया का पालन करे। माननीय गवर्नर महोदय के भाषण में जिस तरह का व्यवहार हमने परिलक्षित किया है, हम सबके लिये शर्मिन्दगी का सवाल है। मैं आशा करता हूं कि जिस पार्टी के विधायक और सदस्य हैं, वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि सदन की मर्यादा को बनाये रखें। राजस्थान की सारी जनता हमारी तरफ देख रही है। हमारा व्यवहार यदि उस तरह का नहीं होगा तो हम राजस्थान की जनता को इंस्पायर नहीं कर पाएंगे और उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाएंगे। मेरा यह दुर्भाग्य है कि अध्यक्ष बनने के बाद मुझे पहली बार यह हिदायत देने का काम करना पड़ रहा है। मैं आशा कर रहा था कि कल जिस भावना से आपने अभिव्यक्ति की थी, हम सब आशा कर रहे थे कि एक अच्छी परम्परा के आधार पर हम सदन को प्रारम्भ करेंगे और आने वाले समय में हम लोगों के बीच में जाकर कह सकेंगे कि हमने सदन में नियम और परम्पराओं का पालन किया। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। मैं आशा करता हूं कि आज आप मुझे इस बात के लिये क्षमा करेंगे कि मैं कोई कठोर कदम उठाऊं, लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा कि यदि भविष्य में इस तरह की कोई घटना होगी, जिसमें नियम और परम्पराओं का पालन नहीं होगा तो मुझे कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी।

(श्री अध्यक्ष)

मैं आशा करता हूं कि आज आप मुझे इस बात के लिए क्षमा करेंगे कि मैं कोई कठोर कदम उठाऊं, उससे पहले मैं अपेक्षा करूंगा कि यदि भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं होंगी जिनमें नियमों का पालन नहीं होगा तो मुझे कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे अवसर नहीं देंगे कि मैं कठोर कार्यवाही करूं। मैं यह भी आशा करूंगा उन माननीय सदस्यों से भी, उनकी भावना, उनका मुद्दा सही हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में मुद्दों को उठाने की एक लिमिट होती है और सदन की गरिमा इसी समय होती है कि हम नियमों का पालन करके जनता की समस्याओं के बारे में ध्यान आकर्षित करें। उनका मुद्दा ज्वलन्त हो सकता है, उनकी प्राथमिकता हो सकती है लेकिन सदन में यदि हम नियमों का ध्यान नहीं रखें तो अध्यक्ष का कर्तव्य ही यही है कि वह नियमों की पालना करवाये। नियमों का पालन करवाना मेरी जिम्मेदारी है इसलिए मैं आपसे सानुरोध प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे बाध्य नहीं करें कि मैं अध्यक्ष के रूप में पहली ही ऐसी परम्परा स्थापित करूं और मैंने कठिन निर्णय लिया है। मैं आशा करूंगा कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और जिन माननीय सदस्यों ने इस तरह का व्यवहार किया है, वे अपने आपको स्वयं इन्ट्रोस्पैक्शन करें कि क्या गवर्नर साहब के सामने हमने जिस तरह का व्यवहार किया, वह उचित है। मैं आशा करूंगा कि वे इस बात पर इन्ट्रोस्पैक्शन करेंगे और भविष्य में इस तरह का कोई अवसर नहीं देंगे जिससे मुझे कठोर कार्यवाही करनी पड़े।

आप सबसे अनुरोध करूंगा इसी दृष्टि से, इस बात को लेकर, एक अवसर मुझे अध्यक्ष के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कठोरता से कर सकूं, निष्पक्षता से कर सकूं और सदन की गरिमा को बनाये रख सकूं। मैं आशा करूंगा कि सभी माननीय सदस्य मुझे को-आपरेट करेंगे जिससे आने वाले समय में हम सदन की कार्यवाही को गौरवान्वित ढंग से कर सकें।

सदन की जो अगली कार्यवाही है, मैं उसे प्रारम्भ करने के लिए आपसे इजाजत लेता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, कई वर्षों तक मुझे इस विधान सभा में रहने का अवसर मिला। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुनने और कार्यवाही में सम्मिलित होने का भी अवसर मिला। कई बार ऐसी ज्वलंत समस्याएं होती हैं, जिनसे कोई माननीय सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण में भी अपने मन के भावों को प्रकट करता है। पहले

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी किया है। उसमें किसी को कोई ज्यादा एतराज नहीं। कोई ज्वलंत समस्या है तो अपनी सीट पर खड़े होकर अपना विरोध जाहिर करें, अपनी बात को कहें, वहां तक भी किसी को कोई एतराज नहीं है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह जरूर है कि राज्यपाल उपस्थित थे, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी यहां उपस्थित थे और आपने अपनी आंखों से जो दृश्य इस राजस्थान की विधान सभा में, मेरे इतने लम्बे कालखण्ड के बाद, यह शपथपूर्वक कह सकता हूं कि यह पहला अवसर है कि विरोध को जाहिर करने के लिए जिस घटिया तरीके का प्रयोग किया गया, वह लोकतंत्र में कभी भी क्षम्य नहीं है और पराकाष्ठा तब हुई कि डैस्क पर चढ़कर जिस प्रकार के शब्दों का राज्यपाल के लिए प्रयोग हुआ है, अगर वास्तव में सारा देश इस बात को जाने कि इस प्रकार का व्यवहार राजस्थान की उस विधान सभा में हुआ है जिसका अपना गौरवपूर्ण अतीत रहा है। पक्ष और विपक्ष ने अपनी बात कही है लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है....

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, इनके काल में जिस तरह के झूठे मुकदमे लगाकर निर्दोष लोगों को जेल में डालने का काम किया। इन्होंने झूठे मुकदमे लगा-लगा कर...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं पूर्णत: अनुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति हूं। (व्यवधान) यह +++ नहीं चलेगी। नो-नो। यह +++ नहीं चलेगी। (व्यवधान) चाहे सदन चले या नहीं चले। इसकी कोई गारन्टी नहीं है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आगमन एवं नारे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ये कैसे खड़े हो गये। प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं। बाहर निकालो इनको। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इस तरह की पराकाष्ठा नहीं हो सकती है। (व्यवधान) नो-नो-नो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जाएं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह +++ नहीं चल सकती। (व्यवधान) नो-नो। हाउस नहीं चल सकता। मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जाएं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हाउस नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। यह हाउस नहीं चल सकता इस तरीके से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपने स्थान पर जाएं।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, यह कौनसा तरीका है? कठोर कार्यवाही करो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बाहर निकालो। बाहर निकालो इनको। नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। (व्यवधान) यह +++ नहीं चल सकती। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपने स्थान पर जाएं। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। अपने स्थान पर जाएं। प्लीज, अपने स्थान पर जाएं। आप भी तो वही काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य, आप नियमों का पालन करिये। आप मेहरबानी करके नियमों का पालन करिये। माननीय सदस्य, मैं फिर कह रहा हूं कि आप नियमों का पालन करिये। हम दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा नहीं है कि आपके ही मसल्स में पावर है। ऐसी गलतफहमी मत पालो। पाप कर रहे हो आप लोग। क्या बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता महोदय। माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप अपनी ताकत की आजमाइश करना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हेकड़ी मत करना। +++ कमाल करता है। हेकड़ी मत करना। (व्यवधान) क्या तरीका है? यह नहीं चल सकता। यह विधान सभा चले या नहीं चले, कोई चिन्ता की बात नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप आसन को सम्बोधित करिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। +++ के आधार पर सदन चलाएगा। (व्यवधान) क्या बात करता है यह। यह तरीका है तुम्हारा? +++ मजाक कर रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। आप खड़े हो। आप बैठिए। आप

(श्री अध्यक्ष)

नियम की बात कर रहे हैं। आप खुद ही नियम तोड़ रहे हैं। आसन पैरों पर है। आप बोले जा रहे हैं।

मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि चेयर को एड्रैस करें। मेहरबानी करके आप चेयर को एड्रैस करें। आप स्वयं सीनियर लीडर हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, उत्तेजित नहीं हों। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चेयर को एड्रैस करें और अपनी अभिव्यक्ति को जारी रखें। (व्यवधान) माननीय राठौड़ साहब, प्लीज। मैंने प्रतिपक्ष के नेता को बुलाया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी आपने इस सदन में देखा है, क्या इसका कोई काग्नीजेंस नहीं लेना चाहिए? सदन की जो मर्यादाएं टूटी हैं, क्या वह इसी तरह से टूटती रहें? जीतकर आने का जो अभिमान है, उसके तहत क्या इस प्रकार का आचरण करने के लिए जनता ने हमें स्वीकृति दे रखी है? मैं तो बहुत विनम्रता से प्रार्थना करता हूं। मैं हमेशा से अनुशासन की पालना करने वाला व्यक्ति रहा हूं लेकिन धमकी के आधार पर अगर कोई दबाने का प्रयास करे तो मैं इसके लिए भी पैदा नहीं हुआ हूं। मैं आपको बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि इस समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ तो यह सदन यदि पांच साल भी नहीं चले तो नहीं चले लेकिन हम इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका दण्ड हमें चाहे जो भी भुगतना होगा, उसके लिए भी हम अपनी मानसिकता बनाकर आये है। उसको भी भुगत लेंगे। कोई चिन्ता की बात नहीं, पर एक इतिहास हिन्दुस्तान के अन्दर बनेगा कि लोकतंत्र का मजाक करने वाले लोग, इस घटिया क्वालिटी पर जाने के बाद भी आसन अपने आप में असहाय महसूस करता है, उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करता। जब तक आपके द्वारा कार्यवाही नहीं होगी, यह सदन नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सारा घटनाक्रम यहां हो रहा था, सदन के नेता मुख्य मंत्रीजी अपनी सीट पर बैठे-बैठे मुस्कुरा रहे थे। हमारे सबके नेता हैं वह। (व्यवधान) मेरे भी नेता हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने हमेशा इस प्रकार की प्रतिक्रिया और कमेन्ट्स किये हैं, अनावश्यक रूप से कि हम मुस्कुरा रहे थे। (व्यवधान) आप बैठिये। आपका तरीका अच्छा नहीं है कि आप खुद भी खड़े होते हैं और खड़े होने के लिए सबको भड़का दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप मुस्कराते रहें, सदन तार-तार होता रहे, सदन की मर्यादाएं टूटती रहें, सदन का नेता मुस्कराता रहे, यह मिलीभगत नहीं है तो क्या है? (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यह अच्छी बात नहीं है कि इस प्रकार के आप हरेक के बारे में कमेन्ट कर दें, यह आपको अधिकार किसी ने नहीं दिया है। आप अपनी बात कह सकते हैं, किसी भी शब्दों में कह सकते हैं पर यह अधिकार आपको नहीं है कि आप किसी के बारे में कोई कमेन्ट कर दें। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों के बारे में ऐसी बात कही गयी। नम्बर एक।

नम्बर दो, अध्यक्ष महोदय, सदन प्रारम्भ हुआ और आपने जो टिप्पणी की थी, कमेन्ट किये थे, अपनी भावना व्यक्त की थी, मैं समझता हूं कि मैं बहुत ध्यान से एक-एक शब्द सुन रहा था और आपकी स्पष्ट वार्निंग थी सब को कि मुझे एक अवसर देओ, मैं नियमों के आधार पर सदन को चलाऊंगा, निष्पक्षता से चलाऊंगा और किसी के साथ पक्षपात नहीं हो। इसका मैसेज यह गया था। हम इस धारणा में आ गये कि वास्तव में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसमें अध्यक्ष किसी भी पक्ष को, किसी भी माननीय सदस्य को जो ऐसी कोई कार्यवाही करेगा कि जो सदन की गरिमा के खिलाफ हो, आप कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे।

मैं उम्मीद करता था कि आपके इतनी बात कहने के बाद में सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होगी और उसके बाद में एक नई शुरूआत होगी। पर हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आवेश में आकर जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो भी अच्छी बात नहीं है। जब माननीय अध्यक्ष महोदय कह चुके थे, आप कह सकते थे कि हम आपकी बात पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी।

आप जिस रूप में अपनी बात कह रहे हैं, गुस्से में कह रहे हैं, हमने आपको कई बार कहा, आप अपनी बात कहें, कोई दिक्कत नहीं है पर आप कई बार आपे से बाहर, मतलब आपका बीपी हाई हो जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा, यह आपके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है और हम सब आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं।

कृपया अध्यक्ष महोदय को एक मौका दें क्योंकि अध्यक्ष महोदय अपनी दिल की बात कह चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं, हम भी चाहेंगे यह सदन अपनी गरिमा से चले। पांच साल हम सदन चलने नहीं देंगे, इस तरह

(श्री अशोक गहलोत)

की बातें मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, पहले दिन ही, अभी तो सदन की शुरूआत हुई है। जो गलतियां करेगा उसको सज़ा मिलेगी। हम खुद चाहेंगे कि राजस्थान में लोकतंत्र की परम्परा कायम रहे।

जहां तक माननीय सदस्य वैल में आये, ऊपर चढ़े, इसको कोई पसंद नहीं कर सकता। मैं इस बात की निंदा करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर बिना मतलब वैल में आना, ऊपर चढ़ना और उनके बारे में, गवर्नर के बारे में टिप्पणियां करना किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता है। जितनी निंदा करें कम है, चाहे कोई माननीय सदस्य हों और इस प्रकार से यह व्यवहार करना कि पांच साल हम सदन को चलने नहीं देंगे, यह उचित बात नहीं कही जा सकती।

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा हम आये हैं, पब्लिक का मैन्डेट लेकर आये हैं। आम जनता, आम मतदाता हमारे बारे में क्या सोचता होगा, यह हमारे दिमाग में, जेहन में रहना चाहिए। हम पांच लोग आ जाएंगे, हल्ला कर देंगे, हाउस डिस्टर्ब कर देंगे तो हमारे बारे में जनता क्या सोचेगी? हमें अब यह तो जनता को जवाब देना है।

तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से, तमाम सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज पहला दिन है, इस रूप में हम अपने आप का मानस बनाएं जिससे कि पांच साल तक सदन ढंग से चले, हम जनता की समस्याओं को उठाएं और हल करने का प्रयास करें, जो हमसे सम्भव हो सके। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण हुई है जो मैं सदन के नेता के रूप में कह रहा हूं, मैं उसको कन्डैम करता हूं, उसके बाद में कोई बात बचती ही नहीं है, यह मेरा मानना है। धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष4): मैं अपनी बात कह रहा था, उसका विरोध करने के लिए वैल में आने की आवश्यकता थी। नियमों के तहत थी। नियमों की पालना हुई है? मैं यह सोचता हूं कि अगर इस तरह के हालात पर भी एक्शन नहीं होगा तो फिर तो इस सदन को चलाना मुश्किल होगा। केवल और केवल मेरी और मेरे दल की ही जिम्मेदारी है सदन को चलाने की, बाकी लोगों की नहीं है, मैं भी ऐसा भी नहीं मानता हूं।

मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, जो घटना आपने, मैंने, सबने देखी है और राजस्थान के सब लोगों ने भी इस दृश्य को देखा है, अगर इस प्रकार की घटना पर भी आसन असहाय है, केवल और केवल दु:ख प्रकट करेगा,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सदन के नेता भी दु:ख प्रकट करेंगे, कन्डैम, कन्डैम, कन्डैम, कन्डैम से जिनको समझ में ही नहीं आता, कन्डैम से जिनका हल ही नहीं है उनको केवल यह शब्द कह करके आप क्या हल निकालना चाहते हो? केवल आप हम को ही बांध कर रखना चाहते हो कि हम ही ऐसा करें, हम भी इन्सान हैं, आखिर हम किस सीमा तक सुनेंगे, हम किस सीमा तक इसको बर्दाश्त करेंगे? क्या यह उचित था, जो हमने किया? और केवल शब्दों के द्वारा कन्डैम करने से ही समस्या का हल हो जायेगा? जिस प्रकार का बर्ताव हुआ, उसको आप अच्छा समझते हैं तो उसका एक्शन नहीं होगा? अगर इसका एक्शन नहीं होगा, ठीक है आप कह रहे हैं राज्यपाल मौजूद थे, राज्यपाल को ही करना है, इस सदन में आप भी तो अध्यक्ष हैं, जो कुछ आपने अपनी आंख से देखा है, क्या आप सब इस कन्डैम शब्द के द्वारा इस राजस्थान की सात करोड़ जनता को यह समझा पाओगे कि लोकतंत्र के इस मंदिर में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी दृश्य हुआ है वो वास्तव में इसकी शोभा बढ़ाने वाला है, इसका सम्मान बढ़ाने वाला है, इसकी इज्जत बढ़ाने वाला है या इसको गिराने वाला है?

जिन लोगों ने इस प्रकार का व्यवहार करने का अपने जीवन का एक तरह से मिशन बना लिया हो उसका तो फिर उसी हिसाब से जवाब देने के अलावा मेरे पास भी कोई चारा नहीं है कि कोई नियम से मैं ही बंधा हूं, आदर से मैं ही बंधा हूं। मेरे स्वास्थ्य के बारे में भी आपको चिंता है, स्वास्थ्य कल जाता हो तो आज चला जाए लेकिन यह अपमान बर्दाश्त करने के लिए इस धरती पर पैदा ही नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। मैं समझता हूं कि सदन के नेता और प्रतिपक्ष के होने वाले नेता ने जो बातें अभिव्यक्त की हैं ...

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): हो गये न, साहब।

श्री अध्यक्ष: प्लीज। मेरे को घोषणा करनी पड़ेगी, आपके कहने से तो नहीं होगा न।

जिन भावनाओं को अभिव्यक्त किया, मैं फिर विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूं कि गवर्नर के भाषण का पार्ट प्रोसीडिंग का नहीं है क्योंकि हम सदन में मौजूद थे, हमारे सामने यह बात हुई इसलिए हम इसको कन्डैम कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप मुझे भी एक अवसर देंगे। आपने मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है, मेरी निष्पक्षता पर आप विश्वास रखिये।

(श्री अध्यक्ष)

इस एक्शन को न सदन के नेता ने एप्रिशिएट किया, न कोई एप्रिशिएट कर रहा है इसलिए आप भी भावना में नहीं आएं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई भी सदस्य हो, यदि सदन के नियम और कानून का पालन नहीं करेगा तो नियमों के अन्तर्गत जो कठोर से कठोर कार्यवाही करनी है वो कार्यवाही मैं अध्यक्ष के रूप में करूंगा। यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

मैं आप सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं, let us forget the past. जो पहले, पास्ट में क्या हुआ, वो रैफरेंस नहीं होना चाहिए, let us start a fresh chapter.

मेरे अध्यक्ष काल में आपने जो विश्वास व्यक्त किया, मैं आपको विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं फर्मली जो नियमों का पालन नहीं करेगा, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, चाहे किसी पार्टी का सदस्य हो, सीनियर सदस्य हो, जूनियर सदस्य हो। नियमों के अन्तर्गत जनता की समस्याओं को उठाने का सब को अधिकार है लेकिन यदि नियमों का पालन नहीं होगा तो यह कठोर कदम मैं उठाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और मेरी भावना को समझेंगे। मैं उन माननीय सदस्यों से भी अपील करूंगा कि भविष्य में ऐसा अवसर नहीं दें जिससे मुझे कोई कठोर कार्यवाही करनी पड़े। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं।

घोषणा

भारतीय जनता पार्टी को प्रतिपक्ष दल व श्री गुलाब चन्द कटारिया को प्रतिपक्ष दल के नेता के रूप में मान्यता

मुझे सदन को सूचित करना है कि भारतीय जनता पार्टी से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया को विधायक दल का नेता चुना गया है।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी को प्रतिपक्ष दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है तथा पार्टी के नेता श्री गुलाब चन्द कटारिया को प्रतिपक्ष दल का नेता मान लिया गया है।

सचिव महोदय, सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इस पर कोई कार्यवाही हो।

श्री अध्यक्ष: अब हो गयी बात, मदन जी। आप सीनियर आदमी हैं।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति

सचिव, राजस्थान विधान सभा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के विगत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:-

(क) राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017

(ख) राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018
(2) डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018
(3) राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018
(4) अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर, विधेयक, 2018
(5) राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018
(6) श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा, विधेयक, 2018
(7) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018
(8) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018
(9) लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी (अलवर) विधेयक, 2018
(10) श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा विधेयक, 2018
(11) जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018
(12) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018
(13) जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018
(14) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018
(15) राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018
(16) राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री अध्यक्ष: अध्यादेश। श्री अंजना उदयलाल, सहकारिता मंत्री एक अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे।

अध्यादेश

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2018

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-6) सदन की मेज पर रखता हूं।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए राजस्थान के पूर्व राज्यपाल एवं दिल्ली के पूर्व मुख्य मंत्री श्री मदन लाल खुराना, आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी, पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक श्री कुंजीलाल मीणा एवं श्री रामकुमार मीणा, इस विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री जगन्नाथ वर्मा, रमाकान्त शर्मा, घासीलाल चौपड़ा, रणजीत सिंह राठौड़ एवं मुकुट बिहारी लाल गोयल के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

मदन लाल खुराना, श्री, पूर्व राज्यपाल, राजस्थान

राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री मदन लाल खुराना का जन्म 15 अक्टूबर, 1936 को वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब के लायलपुर में हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा गांधी मैमोरियल कालेज, श्रीनगर से एम.ए. एवं बी.एड. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री मदन लाल खुराना नौवीं, दसवीं, बारहवीं तथा तेरहवीं लोक सभा के सदस्य रहे। अपने लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति, कार्य सलाहकार समिति, संसदीय वेतन संबंधी समिति एवं शहरी एवं ग्रामीण विकास संबंधी समिति के सदस्य रहे। आप भारत सरकार में संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री रहे तथा इस दौरान आपके पास पर्यटन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी रहा। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री खुराना वर्ष 1993 से 1996 तक दिल्ली के मुख्य मंत्री रहे। सरल व्यक्तित्व के धनी एवं स्पष्टवादी श्री खुराना 14 जनवरी, 2004 से 1 नवम्बर, 2004 तक राजस्थान के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में खुराना दिल्ली महानगर परिषद के सदस्य

(श्री अध्यक्ष)

तथा उसकी विभिन्न समितियों के सदस्य एवं सभापति भी रहे। भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध रहे श्री खुराना पार्टी के महासचिव तथा दिल्ली इकाई के अध्यक्ष रहे। आप भारतीय जनता पार्टी के दो बार महासचिव भी रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री खुराना अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों में विभिन्न पदों पर रहे। आपकी लघु कहानियां कई पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं।

श्री मदन लाल खुराना का दिनांक 27 अक्टूबर, 2018 को निधन हो गया।

नारायण दत्त तिवारी, श्री, पूर्व राज्यपाल, आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री नारायण दत्त तिवारी का जन्म 18 अक्टूबर, 1925 को उत्तराखण्ड (तत्समय उत्तर प्रदेश) के नैनीताल जिले के बालूती ग्राम में हुआ। आपने एम.ए. तथा एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी लगभग ढाई दशक तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। आप उत्तर प्रदेश विधान परिषद के भी तीन बार सदस्य रहे। विधान सभा में नेता, प्रतिपक्ष रहे तिवारी विधान सभा की अनेक समितियों के सदस्य एवं सभापति भी रहे। श्री तिवारी चार बार उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। आप उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न विभागों के मंत्री भी रहे। श्री तिवारी पहली उत्तराखण्ड विधान सभा के सदस्य रहे तथा वर्ष 2002 से 2007 तक राज्य के मुख्य मंत्री भी रहे। तीन बार लोक सभा तथा दो बार राज्य सभा के सदस्य रहे श्री तिवारी केन्द्र सरकार में उद्योग, आयोजना, वित्त तथा विदेश मामलात मंत्रालयों के मंत्री भी रहे। राज्य सभा में दल के नेता रहे श्री तिवारी संसद की विभिन्न समितियों के सदस्य एवं सभापति भी रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव वाले श्री तिवारी वर्ष 2007 से 2009 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। आप योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे।

छात्र जीवन से ही आंदोलनों में भाग लेने वाले श्री तिवारी 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान जेल में बंदी रहे। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री तिवारी के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में अनेक आलेख प्रकाशित हुए। आपके आलेखों की 'यूरोपियन मिसलेनी' शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित हुई। आपने 'प्रभात' मासिक का संपादन भी किया। कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पदों के दायित्वों का निर्वहन करने वाले श्री तिवारी अनेक सामाजिक एवं खेल संगठनों से भी संबद्ध रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री नारायण दत्त तिवारी का दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को निधन हो गया।

कुंजीलाल मीणा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक व पूर्व सांसद श्री कुंजीलाल मीणा का जन्म वर्ष 1936 में बामनवास में हुआ। आपने मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री कुंजीलाल मीणा छठी, सातवीं, नौवीं तथा चौदहवीं राजस्थान विधान सभा में बामनवास निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप छठी व सातवीं विधान सभा में जनता पार्टी तथा नौवीं एवं चौदहवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति एवं राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे। श्री मीणा दसवीं लोक सभा के लिए सवाईमाधोपुर से सांसद भी रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप ग्राम पंचायत बामनवास के उप सरपंच रहे। बामनवास पंचायत समिति के प्रधान रहे श्री मीणा केन्द्रीय सहकारी बैंक, सवाईमाधोपुर के संचालक तथा भूमि विकास बैंक, सवाई माधोपुर के सदस्य भी रहे।

श्री कुंजीलाल मीणा का दिनांक 7 जनवरी, 2019 को निधन हो गया।

राम कुमार मीणा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक व पूर्व सांसद श्री राम कुमार मीणा का जन्म सवाई माधोपुर जिले के शेखपुरा ग्राम में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री राम कुमार मीणा सातवीं तथा आठवीं लोक सभा में सवाई माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे। श्री मीणा चौथी तथा पांचवीं राजस्थान विधान सभा में सपोटरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा तथा संसद में अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए आप सदैव प्रयत्नशील रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री मीणा ग्राम शेखपुरा के सरपंच तथा जिला परिषद में उप प्रधान रहे। कांग्रेस से संबद्ध रहे श्री मीणा जिला कांग्रेस कमेटी, सवाईमाधोपुर के अध्यक्ष तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदिवासी प्रकोष्ठ के सदस्य रहे।

श्री राम कुमार मीणा का दिनांक 3 दिसम्बर, 2018 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

जगन्नाथ वर्मा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री जगन्नाथ वर्मा का जन्म 27 जनवरी, 1947 को झालावाड़ के मनोहरथाना में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री जगन्नाथ वर्मा आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं तथा बारहवीं राजस्थान विधान सभा में मनोहरथाना निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति, विशेषाधिकार समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, पुस्तकालय समिति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति तथा प्राक्कलन समिति 'ख' के सदस्य रहे।

गरीबों और दलितों की सेवा में समर्पित रहे श्री वर्मा मनोहरथाना ग्राम पंचायत के सरपंच भी रहे।

श्री जगन्नाथ वर्मा का दिनांक 27 नवम्बर, 2018 को निधन हो गया।

रमाकान्त शर्मा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री रमाकान्त शर्मा का जन्म 1 फरवरी, 1930 को अलवर जिले के नारायणपुर में हुआ। आपने बी.ई. (मैकेनिकल) की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत पश्चिमी जर्मनी में इंजीनियरिंग विषय का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

श्री रमाकान्त शर्मा नौवीं तथा दसवीं राजस्थान विधान सभा में थानागाजी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति, जन लेखा समिति, नियम समिति तथा सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति तथा विशेषाधिकार समिति के सभापति भी रहे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे श्री शर्मा ग्रामीण पर्यावरण विकास समिति तथा रिसर्च डवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री शर्मा ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सहित अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं से संबद्ध रहे। आप बास्केटबॉल संघ तथा राजस्थान उत्पादकता परिषद के अध्यक्ष भी रहे। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में आपके आलेख भी प्रकाशित हुए।

श्री रमाकान्त शर्मा का दिनांक 16 नवम्बर, 2018 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

घासीलाल चौपड़ा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री घासीलाल चौपड़ा का जन्म वर्ष 1936 में पंवालिया ग्राम में हुआ। आपने मिडिल एवं साहित्य विशारद की शिक्षा प्राप्त की।

श्री घासीलाल चौपड़ा नौवीं राजस्थान विधान सभा में टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक रहे। विधान सभा में आप याचिका समिति, यातायात, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

कृषक मजदूरों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे श्री चौपड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति के संचालक तथा मालपुरा की कृषि उपज मंडी समिति के संचालक रहे। आप केन्द्रीय सहकारी बैंक, टोंक के दो बार तथा भूमि विकास बैंक के एक बार संचालक रहे। श्री चौपड़ा पंवालिया ग्राम पंचायत के उप सरपंच तथा सरपंच भी रहे।

श्री घासीलाल चौपड़ा का दिनांक 16 नवम्बर, 2018 को निधन हो गया।

रणजीत सिंह राठौड़, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री रणजीत सिंह राठौड़ का जन्म वर्ष 1927 में जोधपुर जिले के डांवरा ग्राम में हुआ। आपकी शिक्षा जोधपुर के चौपासनी विद्यालय में हुई।

श्री रणजीत सिंह राठौड़, चौथी, पांचवीं तथा छठी राजस्थान विधान सभा में ओसियां निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। मृदुभाषी श्री राठौड़ विधान सभा के वाद-विवाद में सक्रिय रूप से भाग लेते थे।

वर्ष 1946 में भारतीय सेना में सेवा करने वाले श्री राठौड़ ने सेंट्रल कस्टम विभाग में भी अपनी सेवाएं दीं। श्री राठौड़ अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1952 में डांवरा ग्राम के प्रथम सरपंच बने। वर्ष 1959 में आप पहली बार ओसियां तहसील के प्रधान बने। वर्ष 1981 में पुन: इस पद पर निर्वाचित होकर लगातार चार कार्यकाल तक इस पद पर बने रहे। जिला परिषद् के सदस्य रहे श्री राठौड़ भूमि विकास बैंक के निदेशक भी रहे। कांग्रेस पार्टी से सम्बद्ध रहे श्री राठौड़ जिला कांग्रेस (देहात), जोधपुर के तीन बार अध्यक्ष रहे। आपने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया तथा जेल यात्राएं कीं।

श्री रणजीत सिंह राठौड़ का दिनांक 30 दिसम्बर, 2018 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

मुकुट बिहारी लाल गोयल, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल का जन्म 13 अप्रैल, 1928 को हुआ। आपने बीए, एलएलबी तथा साहित्य विशारद् की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल तीसरी तथा चौथी राजस्थान विधान सभा में बयाना निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त समाजवादी पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयासरत रहे।

युवावस्था में ही आपने विभिन्न आंदोलनों में अपना सक्रिय योगदान दिया। आप भरतपुर राज्य प्रजा परिषद् के सदस्य तथा आजाद हिन्द दल के संस्थापक सदस्य रहे। आपने 'भारत छोड़ो आंदोलन' में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा जेल यात्रा की। श्री गोयल ने भरतपुर प्रजा परिषद् के बेगार विरोधी आंदोलन में भाग लिया तथा भरतपुर किले पर सत्याग्रह के दौरान आप घायल भी हुए। हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर के सदस्य रहे श्री गोयल ने वंचितों की शिक्षा के लिए रात्रिकालीन पाठशालाओं का संचालन भी किया।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल का दिनांक 16 सितम्बर, 2018 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई)

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी 2019 के प्रात: 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12:23 बजे शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी 2019 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट

माननीय राज्यपाल श्री कल्याण सिंह का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

1. पन्द्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र को सम्बोधित करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। मैं प्रदेशवासियों को राज्य में विधान सभा के निर्विघ्न और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न चुनाव के लिये हार्दिक बधाई देता हूं।

2. मैं, नव निर्वाचित विधायकगण का विधान सभा में स्वागत करता हूं एवं आप सभी को निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सब मिलकर प्रदेश को विकास के शिखर पर ले जाएंगे और आमजन के विश्वास पर खरा उतरेंगे। इस सदन के माध्यम से मैं समस्त प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। नववर्ष सभी के लिये मंगलमय और प्रसन्नता से परिपूर्ण हो।

3. इस वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की एक सौ पचासवीं जयन्ती मनायी जा रही है। नयी सरकार गांधी जी के सिद्धान्तों एवं आदर्शों को आत्मसात कर आमजन की सेवा के लिये प्रतिबद्ध होकर कार्य करेगी।

4. प्रदेश की जनता ने पन्द्रहवीं विधान सभा के लिये हुए चुनाव में, जन घोषणा-पत्र में अपना विश्वास प्रकट कर नयी सरकार को जनादेश देकर सेवा का अवसर प्रदान किया है। वर्तमान सरकार प्रदेश को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदान करने के लिये संकल्पबद्ध है। सरकार प्रदेश में शांति, सौहार्द और सद्भावना का वातावरण बनाकर विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करने के लिये तत्परता और मनोयोग से कार्य करेगी।

5. हम जनता के ट्रस्टी के रूप में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए पूर्ण पारदर्षिता एवं जवाबदेही के साथ प्रदेश की जनता की भलाई एवं विकास के लिए कार्य करेंगे। हमारा उद्देश्य प्रदेश को खुशहाल बनाकर यहां के नागरिकों के जीवन स्तर को समृद्ध बनाना है।

6. लोकतंत्र में आम नागरिक का कल्याण निर्वाचित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गत सरकार अपनी पूर्ववर्ती सरकार की कमियां ढूंढने

जैसे निरर्थक मुद्दों में भटक गयी। परिणामस्वरूप वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि में स्थिर मूल्यों पर वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.16 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि में मात्र 7.19 प्रतिशत रह गयी।

7. राज्य में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में औसत वृद्धि वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि में 14.95 प्रतिशत थी जो वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि में घट कर मात्र 9.68 प्रतिशत रह गयी।

8. इसी प्रकार वर्ष 2008-09 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.19 प्रतिशत थी जो बढ़कर वर्ष 2013-14 के अंत में 8.94 प्रतिशत हो गयी थी। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान कृषि क्षेत्र में अपनायी गयी गलत नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2017-18 में घटकर 3.95 प्रतिशत रह गयी।

9. राज्य में कुल ऋण एवं दायित्व वर्ष 2013-14 में 1 लाख 29 हजार 910 करोड़ रुपये का था। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए आर्थिक कुप्रबंधन एवं अदूरदर्शी नीतियों के कारण कुल ऋण एवं दायित्व बढ़कर वर्ष 2018-19 में 3 लाख 8 हजार 34 करोड़ रुपये होना अनुमानित है। गत सरकार के कार्यकाल के दौरान राजकोषीय घाटा लगातार 3 प्रतिशत से अधिक रहा। इसी प्रकार वर्ष 2013-14 में राज्य में प्रति व्यक्ति कुल ऋण एवं दायित्व लगभग 18 हजार 263 रुपये से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 40 हजार 308 रुपये होना अनुमानित है।

10. हमारी सरकार की प्रतिबद्धता प्रदेश की जनता के प्रति है। सम्पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के साथ प्रदेश का सर्वांगीण विकास ही हमारा लक्ष्य है। सरकार ने जन घोषणा-पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकृत कर आमजन से किये गये वादों को पूरा करने के साथ ही उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाये हैं। यह नीतिगत दस्तावेज वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। सभी विभागाध्यक्षों को 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर विकास की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिये गये हैं।

11. किसान हमारी खुशहाली का आधार है। गत सरकार ने किसानों के 8

हजार करोड़ रुपये की कर्ज माफी की घोषणा में से मात्र 2 हजार करोड़ की ही राज्यमद से सहायता की। वर्तमान सरकार ने पहला फैसला किसानों को समर्पित किया। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिये राज्य सरकार ने जन घोषणा-पत्र पर तुरन्त अमल करते हुए सहकारी बैंकों के निर्धारित मापदण्डानुसार पात्र पाये गये ऋणी किसानों के 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके साथ ही सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वे सभी कृषक, जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं और अपना ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, उनका राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पात्र पाये जाने पर दिनांक 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में 2 लाख रुपये की सीमा तक का कालातीत/अवधिपार अल्पकालीन फसली ऋण माफ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

12. प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये जाने की योजना है। किसानों की ऋण माफी इसकी शुरुआत है। सरकार किसानों को आर्थिक संकट से राहत दिलाने के साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में संकल्पबद्ध होकर काम करेगी।

13. किसानों को कृषि के लिये आसान ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही फसल बीमा हेतु प्रभावी कदम उठाने की कार्यवाही की जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद तथा विभिन्न कारणों से हुए फसल खराबे की इनपुट सब्सिडी देने की व्यवस्था की जायेगी।

14. कृषि विपणन प्रणाली को प्रभावी और सशक्त बनाने के साथ ही जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिये भी कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिये प्रमाणित बीज व खाद की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। प्याज, लहसुन, ग्वार तथा कपास जैसी फसलों के निर्यात एवं बागवानी को बढ़ावा देने के लिये प्रभावी कदम उठाये जायेंगे।

15. प्रदेश के कई किसानों द्वारा गत वर्षों में आत्महत्या जैसे दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाये गये हैं। वर्तमान सरकार किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर यह प्रयास करेगी कि भविष्य में कोई भी किसान अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाये।

16. अकाल की विभीषिका से किसानों को बचाकर बेहतर राहत प्रबंधन के लिये अकाल राहत कोष को और सुदृढ़ किया जायेगा। खरीफ सम्वत् 2075 में सूखे से प्रभावित 9 जिलों की 58 तहसीलों के 5 हजार 555 गांवों को गम्भीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। प्रभावित गांवों के लगभग 17 लाख किसानों को 1 हजार 752 करोड़ रुपये कृषि अनुदान का वितरण त्वरित गति से किया जायेगा।

17. इस वर्ष राज्य में कमजोर मानसून की स्थिति वाले क्षेत्रों में रोजगार, पेयजल व पशुओं के चारे की व्यवस्था आदि के लिये आवश्यकतानुसार व्यापक प्रबंध किये जायेंगे। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

18. प्रदेश के किसानों के हित के लिये राजस्व सम्बन्धी कानूनों का सरलीकरण करने के लिये कार्यवाही की जायेगी। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी। राज्य की समस्त तहसीलों में जमाबंदियों में शुद्धिकरण व नक्शों में तरमीम कार्य पूर्ण कर भू-अभिलेख को आनलाइन किया जायेगा।

19. प्रदेश में पशुपालन व डेयरी से स्वरोजगार की विपुल संभावनाएं हैं। आधुनिक डेयरी तकनीक से डेयरी उत्पादों की बड़े पैमाने पर विपणन की संभावनाएं बढ़ गयी हैं। पशुपालकों, विशेष रूप से युवा पशुपालकों को पशुधन व डेयरी विकास से जोड़कर रोजगार के नये अवसर सृजित किये जायेंगे। पशुधन के लिये आसान दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही लघु एवं सीमांत किसानों के पशुओं को निःशुल्क बीमा व उपचार उपलब्ध करवाया जायेगा। मत्स्य पालन व मुर्गी पालन को प्रोत्साहित करने के साथ ही देशी गोवंशीय नस्लों के संरक्षण कार्यक्रम की समीक्षा कर उसे गति प्रदान की जायेगी।

20. गाय का हमारी संस्कृति में विशेष महत्व है। इसे ध्यान में रखते हुए गोशालाओं में शेड, पेयजल एवं चारे के साथ ही चिकित्सा के लिये समुचित कार्यवाही की जायेगी। निराश्रित गोवंश के कारण उत्पन्न समस्याओं के निस्तारण के लिये उचित व्यवस्था की जायेगी।

21. प्रदेश में किसान आयोग का पुनर्गठन कर आयोग के माध्यम से किसानों के समक्ष आने वाली सभी परेशानियों को दूर किया जायेगा।

खेतों में फूड प्रोसेसिंग एवं एग्रो संवर्द्धित इकाइयां लगाने वाले किसानों को 10 हैक्टेयर तक जमीन का कृषि भूमि रूपान्तरण कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

22. राज्य सरकार ने अगले पांच साल तक किसानों के कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विनियामक आयोग द्वारा दरों में वृद्धि करने पर समस्त भार राज्य सरकार वहन करेगी। इसके लिये आगामी पांच वर्षों में लगभग 12 हजार 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। साथ ही प्रदेश में फरवरी, 2012 तक डिमाण्ड नोट जमा करा चुके लगभग 1 लाख किसानों को जून, 2019 तक कृषि कनेक्शन जारी करने के लिये व्यापक तैयारियां कर ली गयी हैं। मार्च, 2019 तक शेष रहे लगभग ढाई लाख ग्रामीण घरेलू आवासों को भी आगामी समय में विद्युतीकृत किया जायेगा।

23. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज को खरीदने के पश्चात् भुगतान करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा समय पर धनराशि रिलीज नहीं करने पर राजफैड द्वारा एक हजार करोड़ रुपये का ऋण लेकर किसानों का बकाया भुगतान अविलम्ब किया जायेगा। रबी में चने, मूंग और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी।

24. संविदाकर्मियों एवं अन्य कार्मिकों की समस्याओं के समाधान हेतु और विगत 6 माह में गत सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों की समीक्षा के लिये राज्य सरकार ने अलग-अलग मंत्री स्तरीय समितियों का गठन किया है।

माननीय सदस्यगण,

25. अपनी पहली ही बैठक में राज्य मंत्रिमण्डल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार 75 वर्ष से कम आयु के वृद्धावस्था पेंशनर को अब 500 रुपये के स्थान पर 750 रुपये तथा 75 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वृद्धावस्था पेंशनर को 750 रुपये के स्थान पर एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। यह निर्णय 1 जनवरी, 2019 से ही लागू किया जा रहा है। इससे राज्य सरकार पर लगभग 1300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा।

26. गत सरकार द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय एवं श्री हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को बन्द करना दुर्भाग्यपूर्ण था, राज्य मंत्रिमण्डल एवं मंत्रिपरिषद् की पहली बैठक में इन्हें पुनः प्रारम्भ करने का फैसला किया गया। इन विश्वविद्यालयों के प्रारम्भ होने से प्रदेश में विधि एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में कुशल कर्मियों की उपलब्धता बढ़ेगी।

27. वर्तमान में लोक सभा एवं विधान सभा के सदस्यों के चुनाव हेतु कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में भी शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस प्रावधान को समाप्त करने से समस्त नागरिकों को पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा। साथ ही स्थानीय निकायों के मुखिया के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सुदृढ़ होगी तथा दल-बदल जैसी घटनाओं पर विराम लगेगा।

28. वर्ष 2008-13 के कार्यकाल में राज्य सरकार ने रिफाइनरी स्थापना के लिए भगीरथी प्रयास कर भारत सरकार के उपक्रम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ ज्वाइन्ट वेंचर कम्पनी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का गठन किया था, फिर भी गत सरकार इसमें भी पूर्ववर्ती सरकार की मात्र कमियां ही ढूंढती रही। फलस्वरूप प्रदेश में निवेश के वातावरण को धक्का पहुंचा और राज्य विकास के मायनों में कई वर्ष पिछड़ गया। वर्तमान सरकार द्वारा बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स के कार्यों को गति प्रदान कर रिफाइनरी से सम्बन्धित उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस रिफाइनरी को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के साथ ही दूरगामी सोच के साथ शहरी व औद्योगिक विकास की एकीकृत योजना लागू कर इस क्षेत्र का संतुलित व समुचित विकास किया जायेगा।

29. राज्य सरकार ने आम जनता की समस्याओं को दूर करने के लिये प्रभावी जन सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 तथा राजस्थान

सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 का साथ-साथ उपयोग कर, शासन में आमजन की सुनवाई को सुनिश्चित किया जायेगा।

30. राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण जयपुर में रहने के दौरान अपने आवास पर प्रतिदिन प्रातः एक घंटे जनसुनवाई करेंगे। जन सुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से सम्बन्धित जन समस्याओं का उचित निराकरण भी सुनिश्चित किया जायेगा।

31. प्रदेश में सहकारिता आंदोलन के माध्यम से किसानों, पशुपालकों और कामगार वर्गों को राहत पहुंचायी जायेगी। अनाज के भण्डारण, प्रबंधन व वितरण का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से पारदर्शी एवं जवाबदेही के साथ और अधिक व्यापक रूप से करवाने के प्रयास किये जायेंगे। फल व सब्जियों का विक्रय सहकारी संस्थाओं के माध्यम से करवाने की योजना है। सहकारी क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने के साथ ही उनके कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का सकारात्मक दृष्टिकोण से समाधान किया जायेगा।

माननीय सदस्यगण,

32. पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की पहल पर हुए 73वें संविधान संशोधन की मंशा के अनुरूप सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर पंचायती राज को और अधिक मजबूत बनाया जायेगा। गांव में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये गांवों की सड़कों व ड्रेनेज सिस्टम का समुचित प्रबंधन किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिये ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित किया जायेगा। बेहतर सूचना तंत्र के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत को इंटरनेट व वाई-फाई से जोड़कर सुदृढ़ किया जायेगा।

33. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को प्रभावी, पारदर्शी एवं जवाबदेही व्यवस्था के साथ लागू कर रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे तथा समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। मनरेगा के तहत कृषि एवं भूमि विकास कार्यों के साथ-साथ औषधीय खेती को बढ़ावा दिया जायेगा।

34. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मार्च 2019 तक 2 लाख 13 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में 17 हजार 324 कार्य प्रगतिरत हैं। इन कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करवाया जायेगा।

35. प्रदेश में सिंचाई के लिये सीमित जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बेहतर जल प्रबंधन से सम्बन्धित नवाचार कर सिंचाई तंत्र का विस्तार किया जायेगा। प्रदेश की सभी नहरों व वितरिकाओं के जाल को सुदृढ़ करने के साथ ही ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति को विकसित करने पर बल दिया जायेगा।

36. राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां पेयजल के लिये सदैव चुनौतीपूर्ण रही हैं। सभी शहरों, कस्बों, गांवों एवं ढाणियों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये दूरगामी सोच के साथ सतही जल पर आधारित समुचित पेयजल प्रबंधन किया जायेगा। पूर्व में प्रारम्भ की गयी योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के साथ पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों एवं ढाणियों में आर.ओ. प्लांट एवं डी-फ्लोराइडेशन यूनिट्स स्थापित कर राहत प्रदान की जायेगी। सभी लम्बित लिफ्ट पेयजल परियोजनाओं के कार्यों को गति प्रदान कर यथासमय पूर्ण करवाया जायेगा। गिरते भू-जल स्तर को संरक्षित करने के साथ ही अत्यधिक दोहन से ग्रस्त डार्क जोन क्षेत्रों का पुनः सर्वेक्षण करवाकर भूजल का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

37. राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में निर्बाध गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये व्यापक योजना बनाकर कार्यवाही की जायेगी। राज्य को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिये वर्ष 2009 से 2013 की अवधि में राज्य की उत्पादन क्षमता में 7 हजार 314 मेगावाट (4 हजार 812 मेगावाट परम्परागत स्रोत एवं 2 हजार 502 मेगावाट गैर परम्परागत स्रोत) की वृद्धि की गयी एवं 7 हजार 750 मेगावाट क्षमता की नयी परियोजनाओं की स्वीकृति जारी कर 2 हजार 800 मेगावाट (2x660 मेगावाट छबड़ा, 2x660 मेगावाट सूरतगढ़ एवं 160 मेगावाट रामगढ़) की परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया गया। गत 5 वर्षों में इन परियोजनाओं में से केवल छबड़ा की 660 मेगावाट की एक इकाई का कार्य ही पूर्ण किया गया। वर्ष 2009 से 2013 की अवधि में स्वीकृत 4 हजार 950 मेगावाट की परियोजनाओं पर गत 5 वर्षों में कोई प्रगति नहीं हुई है।

38. राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2011 में

जारी राज्य की प्रथम सौर ऊर्जा नीति एवं वर्ष 2012 में पुनः जारी पवन ऊर्जा नीति से राज्य में ऊर्जा के विकास को गति मिली है। गत सरकार के कार्यकाल के दौरान आयी कठिनाइयों को दूर कर गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

39. वर्ष 2013-14 में राजस्थान के वितरण निगमों का कुल संचयी घाटा 77 हजार 453 करोड़ रुपये था। सरकार द्वारा उदय योजना के तहत 32 हजार 700 करोड़ रुपये के घाटे के अधिग्रहण एवं विद्युत दरों में 26 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद भी वर्ष 2017-18 के अंत में वितरण निगमों का कुल संचयी घाटा बढ़कर 92 हजार 460 करोड़ हो गया है। अतः वितरण निगमों की वित्तीय स्थिति के सुदृढ़ीकरण हेतु गम्भीर प्रयासों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

40. क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान में सड़क तंत्र को सुदृढ़ व विकसित बनाकर सुदूर स्थानों तक सुगम पहुंच बनाई जायेगी। सड़कों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के साथ ही नयी सड़कों का निर्माण करवाकर गांवों एवं ढाणियों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के मिसिंग लिंक्स को प्राथमिकता से जोड़कर सम्पर्क सड़कों का जाल बिछाया जायेगा।

41. आमजन को उचित दर पर व्यवस्थित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवायें यथावत जारी रहेंगी। प्रदेश के परिवहन तंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिये भी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। जयपुर के सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड के अधूरे निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करवाया जाएगा।

42. स्वस्थ राजस्थान के निर्माण हेतु गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाने के लिये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सक एवं अन्य चिकित्साकर्मियों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

43. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू करते हुए आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित दवाइयों की संख्या को बढ़ाने के साथ ही सर्जिकल आइटम इत्यादि की संख्या को भी बढ़ाया जायेगा। निःशुल्क जांच योजना के दायरे को बढ़ाकर इसे अधिक व्यापक एवं प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा।

44. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त राजकीय अस्पतालों में प्रसूति सेवायें प्रदान करने की प्रभावी कार्यवाही की जायेगी एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाकर प्रसव कक्षों को सुसज्जित किया जायेगा। महिलाओं एवं शिशुओं में खून की कमी की पहचान कर उपचार के लिये विशेष कार्यक्रम चलाया जायेगा।

45. विशेष अभियान चलाकर टीकाकरण से वंचित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुनिश्चित किया जायेगा। प्रसवपूर्व लिंग परीक्षण की रोकथाम के लिये पीसीपीएनडीटी एक्ट की सख्ती से पालना करवायी जायेगी। पूर्व की भांति "पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, बेटी बचाओ" नारे के अनुरूप जन सहभागिता के साथ अभियान चलाया जायेगा।

46. दुर्घटनाग्रस्त व गम्भीर रोगियों को तत्काल उपचार उपलब्ध करवाने के लिये 108 एम्बुलेंस की संख्या में वृद्धि कर इन सेवाओं को सुदृढ़ किया जायेगा। प्रदेश के प्रमुख राज्य मार्गों पर एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित कर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को यथाशीघ्र उपचार उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जायेगा। प्रदेश के शेष रहे सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

47. राजकीय क्षेत्र में नये मेडिकल कालेजों को पूर्ण क्षमता के साथ विकसित कर चिकित्सा शिक्षा का प्रसार किया जायेगा। इन मेडिकल कालेजों के अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवायें भी उपलब्ध करवायी जायेंगी। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सीटों की संख्या में वृद्धि के साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दिया जायेगा।

48. विषेशज्ञ चिकित्सकों की सेवायें सुदूर क्षेत्रों में टेलिमेडिसिन सेवा के माध्यम से सुलभ करायी जायेगी। राजस्थान को मेडिकल ट्यूरिज्म के हब के रूप में विकसित करने के प्रयास किये जायेंगे। दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु नीति बनायी जायेगी।

49. भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सा के विस्तार के लिये विशेष कार्य योजना बनायी जायेगी। प्रदेश में सभी के लिये आरोग्यता के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिये योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को विशेष महत्व के साथ इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जायेगा।

50. मौसमी बीमारियों, दीर्घकालीन बीमारियों तथा नशीले पदार्थों के सेवन से उत्पन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर समस्याओं से निपटने के लिये समन्वित कार्य योजना बनायी जायेगी। इस दिशा में आम नागरिकों विशेष रूप से नयी पीढ़ी को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जागरूक बनाने के लिये विद्यालयों के पाठ्यक्रम में उपयोगी जानकारी दी जायेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग के सहयोग से पाठ्य पुस्तकों में अध्याय जुड़वाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा।

माननीय सदस्यगण,

51. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना को सभी वर्गों के पात्रताधारियों के लिये प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल, आधुनिक एवं प्रभावी बनाने के साथ ही राशन की दुकानों की संख्या में वृद्धि की जायेगी।

52. शिक्षित समाज द्वारा ही विकसित प्रदेश की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिये नयी शिक्षा व्यवस्था बनाकर समस्त बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर विषेश ध्यान दिया जायेगा।

53. प्रदेश में बंद किये गये स्कूलों की समीक्षा कर उन्हें खोलने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। विद्यार्थियों के अनुपात में कक्षावर्ग का निर्धारण, विद्यालयों में आधारभूत संरचना का विकास और शिक्षकों का पदस्थापन किया जायेगा। विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समय-सारिणी की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। स्कूलों में मिड-डे-मील बनाने वाले कर्मियों के मानदेय की भी समीक्षा की जायेगी।

54. संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति का आधार मानी जाती है। संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित किया जायेगा।

55. प्रदेश में तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देकर युवाओं के कौशल संवर्द्धन पर विशेष बल दिया जायेगा। राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु मार्गदर्शन के लिये स्टूडेंट एडवाइजरी एवं गाइडेंस ब्यूरो खोले जायेंगे।

56. प्रदेश के विभिन्न अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निजी क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण व प्लेसमेंट को

बढ़ावा देने के लिये राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा द्वारा जयपुर में एक नोडल सेंटर स्थापित किया जायेगा।

57. प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिये कार्पोरेट व शैक्षणिक संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित कर शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे, जिनसे उन्हें कार्पोरेट सेक्टर में नौकरी के पर्याप्त अवसर मिल सकें। शिक्षित बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास कर स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाकर तथा उद्योग-धन्धे स्थापित करवाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जायेगा।

58. राज्य सरकार द्वारा आईटीआई कर रहे प्रशिक्षुओं के रोजगार अवसर बढ़ाने के लिये अंग्रेजी बोलने एवं साफ्ट स्किल्स सुधार के कोर्सेज करवाये जायेंगे। राज्य में आर.एस.एल.डी.सी. के माध्यम से संचालित 430 प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रषिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा सुलभ करवायी जायेगी। निर्माण श्रमिक कल्याण की योजनाओं को सुसंगत बनाकर पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ उपलब्ध करवाया जायेगा। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों एवं मजदूरों आदि के कल्याण के लिये मजदूर एवं कामगार कल्याण बोर्ड को सशक्त बनाया जायेगा।

59. पूर्ववर्ती सरकार ने विभिन्न राजकीय विभागों में स्वीकृत पद रिक्त होने के बावजूद उनको भरने में लापरवाही की। प्रदेश के अनेक राजकीय विभागों में स्वीकृत, लम्बे समय से रिक्त पड़े इन पदों को यथाशीघ्र भरने की कार्यवाही की जायेगी।

माननीय सदस्यगण,

60. उद्योग-धंधे न सिर्फ रोजगार सृजित करते हैं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी खुशहाल बनाते हैं। सरकार का प्रयास है कि राजस्थान औद्योगिक विकास में देश का अग्रणी राज्य बने। सम्पूर्ण प्रदेश में उद्योगों के संतुलित विकास के लिये एक नयी औद्योगिक नीति बनाकर उद्योगों के विकास पर बल दिया जायेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

61. राजस्थान के औद्योगिक विकास में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देकर नयी औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात करने की दिशा में

सार्थक कदम उठाये जायेंगे। राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये सिंगल विन्डो सिस्टम को सुदृढ़ किया जायेगा। संभागीय स्तरों पर व्यापारिक प्रदर्शनी एवं मेलों के लिये जगह चिन्हित कर उनके आयोजन के लिये अनुकूल वातावरण बनाया जायेगा।

62. औद्योगिक परिसरों से निकलने वाला दूषित जल पर्यावरण की दृष्टि से अत्यन्त हानिकारक होता है। उद्योगों से निकलने वाले इस दूषित जल का उचित प्रबंधन करने के साथ ही औद्योगिक परिसरों में वर्षा जल संरक्षण को प्रोत्साहित किया जायेगा।

63. ग्रामीण उद्योगों जैसे- खादी, हस्तशिल्प, टेराकोटा, चर्म उद्योग, ग्रामीण पर्यटन इत्यादि को बढ़ावा देकर इनके उत्पादों के विपणन की समुचित व्यवस्था की जायेगी। प्रशिक्षित बेरोजगारों, कुशल श्रमिकों, दस्तकारों व हस्तशिल्पियों को आसान दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।

64. राजस्थान के हस्तशिल्प और कला को प्रोत्साहित करने के लिये परम्परागत रूप में निर्मित वस्तुओं को वस्तु एवं सेवा कर मुक्त करने के साथ ही प्रक्रिया सरलीकरण एवं इनको प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे। उपयुक्त नीतियों का निर्धारण कर छोटे एवं खुदरा व्यापारियों के हितों की रक्षा की जायेगी। राजस्व आसूचना निदेशालय को सशक्त बनाया जायेगा। पेपरलेस पंजीयन की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जायेगा।

65. प्रदेश से अनेक वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। निर्यातकों की सुविधा के लिये राजस्थान वस्तु निर्यात संवर्द्धन परिषद् का गठन किया जायेगा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र अपने उत्पादों के लिये विख्यात हैं। क्षेत्र विशेष के उत्पादों एवं विपणन को प्रोत्साहित करने के लिये क्लस्टर डवलपमेंट पर विशेष बल दिया जायेगा।

66. खनिजों की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं और इनमें से 57 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। वर्तमान खनिज नीति की समीक्षा कर नयी खनिज नीति का निर्धारण किया जायेगा। खनिज सम्बन्धित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये विशेष कार्यवाही की जायेगी। विगत वर्षों में

अवैध बजरी खनन से आम जनता को जिस परेशानी का सामना करना पड़ा है, उसे हल करने के प्रयास किये जायेंगे। खनिज बजरी की खातेदारी भूमि में 4 हैक्टेयर तक के खनन पट्टे सम्बन्धित खातेदार को आवंटित करने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही खनिज बजरी के विकल्प के रूप में मैन्यूफेक्चर्ड सेण्ड की इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिये पृथक् से एम-सेण्ड पालिसी बनायी जायेगी।

67. प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सार्थक प्रयास किये जायेंगे। सीएनजी वाहनों के उपयोग की नीति बनाकर प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास किये जायेंगे। प्रदेश के 26 जिलों में सतत परिवेशी वायु प्रबोधन केन्द्र स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे।

68. प्रदेश में सघन वृक्षारोपण करने के लिये आगामी वर्षा ऋतु में 15 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया जायेगा एवं कृषि वानिकी के तहत एक करोड़ पौधे वितरित किये जायेंगे। बीकानेर के मरुधरा बायोलोजिकल पार्क व कोटा के अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क के कार्य के साथ ही बारां के वन क्षेत्र सोरसन में गोडावण प्रजनन केन्द्र का कार्य भी शीघ्र पूर्ण करवाया जायेगा।

माननीय सदस्यगण,

69. प्रदेश की शहरी जनसंख्या में लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए शहरी आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। आवासविहीन निर्धन परिवारों को कम लागत पर आवास उपलब्ध कराने की प्रभावी रूपरेखा बनायी जा रही है। अग्निकांड में होने वाली जान-माल की क्षति को रोकने के लिये अग्निशमन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। साथ ही आमजन की सुविधा हेतु शहरी पर्यावरण को सहजने के साथ ही ठोस कचरा प्रबंधन, बगीचे, खेल मैदान, पार्किंग आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

70. वर्तमान सरकार लगातार बढ़ रहे शहरीकरण से उत्पन्न हो रही समस्याओं को दूर करने की कार्य योजना बनायेगी। इस कार्य योजना में क्षेत्रीय विकेन्द्रीकरण व जनसहभागिता पर विशेष बल दिया जायेगा। इसके लिये नगर नियोजन अधिनियमों, नगरपालिका कानूनों, भवन निर्माण नियमों-उपनियमों एवं भू-उपयोग परिवर्तन मानकों को वर्तमान समय की आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जायेगा।

आवासन मण्डल को शहरी क्षेत्र के सभी वर्गों के लिये आवासीय परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध करवायी जायेगी। कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाकर प्रदेश को स्लम-फ्री करने की दिशा में सार्थक प्रयास किये जायेंगे।

71. प्रदेश में खेल का वातावरण एवं आधारभूत खेल संरचना विकसित करने के लिये नयी खेल नीति बनायी जायेगी। वार्षिक युवा उत्सवों का आयोजन कर जिला स्तर पर खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खेल परिसरों का निर्माण करवाकर खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधायें सुलभ करायी जायेंगी तथा ग्रामीण खेलकूद गतिविधियों का आयोजन कर ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराशा जायेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि की उपलब्धता के आधार पर खेल मैदानों के लिये भूमि आरक्षित की जायेगी।

72. राजस्थान एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा से परिपूर्ण राज्य है। यहां के ऐतिहासिक किलों, स्मारकों तथा संस्कृति के विविध रंग देखने के लिये विश्व भर से पर्यटक आते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये नयी पर्यटन नीति, राज्य में पर्यटन के आधारभूत ढांचे का विकास, नये पर्यटन स्थलों का विकास, पर्यटकों की सुरक्षा हेतु पर्यटन -पुलिस, पर्यटन एवं धार्मिक आस्था के स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं होटल व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जायेगा।

73. राजस्थान अपने थार रेगिस्तान के लिये विख्यात है। रेगिस्तानी इलाकों में जन सुविधाओं और योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाये जाने की महती आवश्यकता है। इन क्षेत्रों के विकास के लिये कार्यक्रम संचालित किया जायेगा एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वालों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जायेगा।

74. प्रदेश के असंगठित एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा के लिये कार्ययोजना तैयार की जाएगी। महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से उन्हें व्यवसाय करने के लिये आसान दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।

75. जनजाति क्षेत्रीय विकास गतिविधियों के तहत प्रदेश में वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वन क्षेत्र में निवास कर रहे जनजाति समुदाय

को वनाधिकार पत्र जारी करने की प्रक्रिया को 28 फरवरी, 2019 तक सरल व आनलाइन किया जायेगा। निरस्त आवेदनों के अपील सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण के लिए व्यापक अभियान चलाया जायेगा। जनजाति की 10वीं व 12वीं कक्षा में 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 3 हजार छात्राओं को स्कूटी वितरित की जायेगी। 31 मार्च, 2019 तक 30 नये मां-बाड़ी केन्द्र प्रारम्भ किये जायेंगे।

76. बाल श्रम की रोकथाम एवं बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के सम्बन्ध में जनसमुदाय की सक्रिय सहभागिता पर बल देने के साथ ही इन पर प्रतिबन्ध के लिये बनाये गये कानूनों की सख्ती से पालना करवायी जायेगी। बच्चों में कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग तथा प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से सामूहिक प्रयास किये जायेंगे। अनाथ एवं बेसहारा बच्चों के पालन-पोषण एवं शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जायेगी। बाल भिक्षावृत्ति का उन्मूलन कर भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के पुनर्वास एवं शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

77. वर्ष 2009 से 2013 के दौरान अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए जो योजनायें संचालित की गयी थीं, पूर्ववर्ती सरकार ने न केवल उनके क्रियान्वयन में घोर उपेक्षा की, अपितु इनके स्वरूप में भी बदलाव किया। अल्पसंख्यक वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिये आवश्यक रूपरेखा बनायी जायेगी। प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के हित के लिये अनेक योजनायें संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं की मानिटरिंग के लिये विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। अल्पसंख्यक वर्ग की मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें उच्च अध्ययन के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। प्री-मेट्रिक व पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति, स्वरोजगार हेतु ऋण आदि योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा।

78. वीरभूमि राजस्थान से देश की रक्षा के लिये बड़ी संख्या में नौजवान सेना में शामिल होते हैं। ऐसे युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये शेखावाटी सहित राज्य के अन्य क्षेत्रों में भारतीय सैनिक बलों और अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे।

79. राजस्थान के अनेक सपूतों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये अपने प्राण न्योछावर किये हैं। प्रदेश के इन शहीदों की शहादत का सम्मान किया जायेगा। शहीदों के सम्मान स्वरूप निर्धारित सभी कार्य तत्परता से करवाये जायेंगे। शेष जिला मुख्यालयों पर शहीद स्मारक बनाने की कार्यवाही की जायेगी। पूर्व सैनिकों को देय आवश्यक सुविधायें सुलभ कराने का प्रयास किया जायेगा।

80. स्वतंत्रता सेनानी हमारे राष्ट्रीय गौरव हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को उचित सम्मान देने के साथ ही उन्हें प्रदत्त सुविधायें उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

81. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा ई-मित्र तथा ई-मित्र प्लस नेटवर्क का विस्तार किया जायेगा। नागरिकों को ई-मित्र तथा ई-मित्र प्लस द्वारा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करवायी जाने वाली सेवाओं में 25 नयी सेवाएं जोड़ी जायेंगी। निर्बाध रूप से इन्टरनेट सेवायें सुलभ करवाने के लिये एक हजार नये स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। जयपुर में स्टार्टअप्स के लिये खुले इन्क्यूबेटर सेन्टर की तर्ज पर जोधपुर में भी विश्वस्तरीय इन्क्यूबेटर की स्थापना की जायेगी। बैंक रहित ग्राम पंचायतों में नये एटीएम खोलने के साथ ही नये बैंकिंग कारसपोन्डेन्ट्स बनाये जायेंगे।

82. कमजोर कानून-व्यवस्था एवं भय व आतंक के वातावरण को समाप्त करने के लिये राज्य की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर आमजन में विश्वास कायम करने के विशेष प्रयास किये जायेंगे। पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाकर आमजन के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित किया जायेगा एवं जनसामान्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जायेगा।

83. महिलाओं, बच्चों व कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित कर उनकी सुरक्षा हेतु विशेष कार्य-योजना बनायी जायेगी। साथ ही पुलिसकर्मियों के सम्मान एवं स्वाभिमान के रक्षार्थ पुलिस कल्याण से सम्बन्धित कार्यवाही प्रारम्भ करने की भी योजना है।

माननीय सदस्यगण,

84. सड़क दुर्घटनाओं के कारण अनेक लोगों की अकाल मौत हो जाती है और उनके परिवारों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर मृतकों की संख्या में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

85. प्रदेश में अमन, चैन, भाईचारा और शांति बनाये रखने के लिये साम्प्रदायिकता, वैमनस्यता एवं धार्मिक उन्माद फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टोलरेंस के सिद्धान्त पर कार्य किया जायेगा।

86. लोककल्याण एवं लोकहित की भावना हम सभी के लिये सर्वोच्च है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के ज्ञान और विवेक से हम सशक्त एवं समृद्ध राजस्थान के निर्माण के लक्ष्य को अर्जित करने के लिये ठोस रूपरेखा बनायेंगे। प्रदेश के विकास के लिये पक्ष-विपक्ष सभी का रचनात्मक सहयोग अपेक्षित है।

87. राज्य सरकार इस सत्र में राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2019 को सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

88. महात्मा गांधी ने कहा था-

"मैं तुम्हें एक जन्तर देता हूं। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओ:

जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा, जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है"

89. हमारी सरकार महात्मा गांधी के इसी चिन्तन पर अमल करते हुए अपने प्रयासों से प्रदेश के गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद के लिये कार्य करेगी।

90. मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी नयी सरकार जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध एवं वैमनस्यमुक्त सुशासन की स्थापना में सफल होगी।

इस सदन के लिये चुने गये सभी प्रतिनिधियों का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें जनता की सेवा के लिये शुभकामनाएं देता हूं।

जय हिन्द!